

[Shri D. R. Chavan]
(Compensation and Rehabilitation) Second Amendment Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1570 in Gazette of India dated the 21st October, 1967, under subsection (3) of section 40 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1964. [Placed in Library, see No. LT-1624/67].

12.49 1/2 Hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on Monday, the 20th November, 1967, adopted the following motion in regard to the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Central Industrial Security Force Bill, 1966:—

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the constitution and regulation of a Force called the Central Industrial Security Force for the better protection and security of certain industrial undertakings, be extended up to the first day of the Sixty-third Session of the Rajya Sabha".

ESTIMATES COMMITTEE

SIXTEENTH AND SEVENTEENTH REPORTS

SHRI P. VENKATASUBBALAH (Nandyal) : I present the Sixteenth and Seventeenth Reports of the Estimates Committee on action taken by Government on the recommendations contained in the Sixty-eighth and Sixty-ninth Reports of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the erstwhile Ministry of Transport—Madras Port and Vishakhapatnam and Tuticorin Ports, respectively.

12.50 Hrs.

MOTIONS RE: REPORTS OF EDUCATION COMMISSION AND OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON EDUCATION—contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion on the motions moved by the Education Minister on the 14th November, 1967.

Mr. Prakash Vir Shastri to continue his speech.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपना भाषण इस बात से प्रारम्भ किया था कि जब भारतीय स्वतन्त्रता का समय निकट आ रहा था, तो हमारे देश में "राय बहादुर" "खान बहादुर" और "सर" आदि, इस टाइटिल के कुछ लोगों को अंग्रेज को यहां से जाते देख कर तिलमिलाहट सी होने लगी थी। ठीक उसी प्रकार की स्थिति इस समय भी है। ज्यों-ज्यों हमारे देश में भारतीय भाषाओं का उदय हो रहा है और भारतीय भाषाओं का सूर्य अपना प्रकाश इस धरती पर फैला रहा है, त्यों त्यों कुछ अंग्रेजी-भक्तों को उसी प्रकार की छटपटाहट अंग्रेजी को भारत से विदा लेते हुए देख कर हो रही है।

जहां तक शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, यह एक बड़ी सामान्य-सी बात है कि राज्यों में क्षेत्रीय भाषायें विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनेंगी और हिन्दी प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की तरह एक अनिवार्य विषय के रूप में रहेगी, जिस से देश के प्रत्येक छात्र और प्राध्यापक के दूसरे राज्यों से सम्पर्क की दृष्टि से एक माध्यम बना रहे।

12.51 Hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

लेकिन जहां तक हिन्दी को राजभाषा के आसन पर बिठाने का सम्बन्ध है, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि वह बहुमत के आधार पर या किसी की कृपा विशेष से नहीं, अपितु देश के अधिकांश भागों में प्रयुक्त होने और देश में सब से सरल भाषा होने के नाते हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया है। कल श्री फ्रैंक एन्यनी ने कहा

कि संविधान सभा की कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में जब राजभाषा के सम्बन्ध में निर्णय होने लगा, तो केवल एक मत अधिक होने से हिन्दी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। मैं ने संविधान सभा के कांग्रेसी सदस्यों से इस बात की जानकारी ली है और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से भी इस बात की अधिकृत जानकारी ली है, ताकि यह ज्ञात हो कि इस कथन में कहां तक वास्तविकता है। मेरे पीछे संविधान सभा के एक सदस्य श्री सामन्त, बैठे हुए हैं। मैं ने उन से भी व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में पूछा है। उन्होंने भी यह ही कहा है—संविधान सभा में कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी का प्रत्येक सदस्य उस की पुष्टि करेगा—कि कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में अंकों के सम्बन्ध में मतदान की स्थिति तो अवश्य आई और एक मत अधिक होने से हिन्दी में अंग्रेजी अंक, जिन को अन्तर्राष्ट्रीय अंक कहा गया, प्रयुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन भाषा के प्रश्न पर न तो संविधान सभा में और न ही कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में कभी मतदान की स्थिति आई। संविधान सभा में भी और कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में भी सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि हिन्दी को इस देश की राजभाषा बनाया जाये।

इस स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की असत्य बात कह कर इस सदन को गुमराह करना और जो लोग संविधान सभा की कार्यवाहियों और उस समय के के हालात से परिचित नहीं हैं, उनके सामने अपनी बात की पुष्टि में एक गलत आधार रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

पिछले दिनों मद्रास में कुछ अंग्रेजी-परस्तों का जो एक सम्मेलन हुआ, उस में एक महानुभाव ने जिनका नाम ले कर अपनी जिह्वा को मैं अपवित्र नहीं करना

चाहता हूँ— कि अंग्रेजी भारतीय एकता के लिए भगवान् की ओर से दी हुई एक देन है। मैं नहीं समझता कि वह किस प्रकार का भगवान् है, जिस ने हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक विदेशी भाषा, अंग्रेजी, की देन दी है और क्या वह भगवान् हमारे देश के लिए आराध्य हो सकता है? लेकिन जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है, मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूँ कि न तो इस प्रकार के भगवान् की हम को जरूरत है और न इस प्रकार की भगवान् की देन की। हमारे लिए तो वही भगवान् आराध्य हो सकता है, जिसे हमारे स्वरूप से, हमारी परम्पराओं से और हमारी भाषा से स्नेह हो। इस प्रकार का भगवान् हमें कभी पसन्द नहीं है, जो इस देश की एकता के लिए एक विदेशी भाषा को देन के रूप में हमें दे।

पीछे भारत सरकार ने अंग्रेजी को संरक्षण देने के लिए हैदराबाद में एक अंग्रेजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया था। उस के पहले अध्यक्ष, श्री गोकाक, ने, जो बाद में बंगलौर विश्व-विद्यालय के उपकुलपति हो कर चले गए, अपने एक भाषण में यह कहा था कि आज देश में जितनी अनुशासन-हीनता फैली हुई है, उस का एकमात्र कारण यह है कि हमारे यहां अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है।

जहां तक अंग्रेजी को भारत में जारी रखने का प्रश्न है, आप मुझे इस सत्य को प्रकट करने की अनुमति दीजिए कि भारत में अंग्रेजी भाषा को टिकाये रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। जिस के अन्तर्गत यहां पर कुछ शिक्षकों और समाचारपत्रों के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा इसी उद्देश्य से व्यय किया जा रहा है कि जिससे इस देश में अंग्रेजी के पक्ष में वातावरण बराबर बना रहे और यहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाये कि अंग्रेजी इस देश से न हटे।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हमारे मित्र, श्री एन्थनी, ने कल कहा कि दुनिया में जो भारत का रूप गया, वह अंग्रेजी के माध्यम से गया। लेकिन वह शायद भूल गए कि हमारे देश के ऋषि और महर्षि भारत के जिस रूप को ले कर गए थे, वह रूप कपिल और कणाद ने दिया था। वह अंग्रेजी के द्वारा गुलामी में मिला हुआ रूप नहीं था। यदि संसार में हमारा रूप अंग्रेजी के माध्यम से गया है, तो कैसे केवल उन्नीस वर्ष पहले निर्मित राष्ट्र, इसराईल, ने अपनी भाषा हिब्रू के माध्यम से संसार के देशों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। प्रश्न यह है कि रूस का रूप किस माध्यम से संसार में गया है, जर्मनी और फ्रांस का रूप किस माध्यम से संसार में गया है। इस प्रकार की गलत दलीलें और गलत तथ्य दे कर एक विदेशी भाषा का पक्ष लेना समझ में नहीं आता है।

कहा जाता है कि जब तक हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और टेक्निकल साहित्य तैयार न हो जाये, तब तक वे शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती है। लेकिन जब तक ये भाषायें प्रयोग में ही नहीं आयेंगी, तब तक उनमें वैज्ञानिक और टेक्निकल साहित्य के निर्माण की स्थिति भी नहीं आयेंगी। इस प्रकार की बातें कह कर या इस प्रकार के कुत्तक दे कर बीस साल निकाल दिये गए। अगर आगे भी इस प्रकार की संदिग्ध स्थिति बनी रहती, तो हमारे देश में इस प्रकार का वातावरण कभी भी नहीं पैदा हो सकता है, जब भारतीय भाषायें शिक्षा का माध्यम बन सकें।

आप को स्मरण होगा कि जब 1935-36 में इस देश के सात राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थीं, तो उस समय दिल्ली में कांग्रेस के प्रमुख लोगों का एक अधिवेशन हुआ। गांधीजी उस समय कांग्रेस छोड़ चुके थे। उन से यह प्रश्न पूछा गया कि विधान सभाओं में जा कर हम कौन सी भाषा का प्रयोग करें।

गांधीजी ने तत्काल यह उत्तर दिया कि विधान सभाओं में जा कर भारतीय भाषा, हिन्दी, का प्रयोग करें। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि हम को तो हिन्दी नहीं आती। गांधीजी ने कहा कि अगर आप को हिन्दी नहीं आती है, तो एक साल के अन्दर आप को हिन्दी सीख लेनी चाहिये, एक वर्ष के बाद कोई भी विधान सभा इस प्रकार की न हो, जहाँ कांग्रेस मंत्रि-मंडल हो और हिन्दी के द्वारा कार्य न चल रहा हो।

इसी प्रकार एक बार गांधी जी के सामने यह प्रश्न रखा गया, "बापु, अंग्रेजी में साहित्य है, लेकिन उस की तुलना में भारतीय भाषाओं में साहित्य नहीं है। बिना साहित्य के हम अपनी भाषाओं में कैसे शिक्षा देंगे?" गांधीजी ने कहा, "अगर भारतीय भाषाओं की पुस्तकें नहीं हैं, तो बिना पुस्तकों के पढ़ाओ, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से न पढ़ाओ।" भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में गांधी जी इतने दृढ़ थे।

शिक्षा मंत्री को यह पता होगा कि हमारे जो विद्यार्थी उच्च वैज्ञानिक और टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जर्मनी जाते हैं, वे छः महीने तक जर्मन भाषा का अध्ययन करते हैं और इस अवधि में वे इतनी जर्मन भाषा सीख लेते हैं कि क्लास में अध्यापक जो कुछ शिक्षा देता है, उस को बुद्धिगत कर लेते हैं और उस के नोट्स जर्मन भाषा में या अपनी भाषा में ले लेते हैं। जब छः महीनों में जर्मन भाषा सीखी जा सकती है, तो गांधीजी ने तो भाषा में परिवर्तन के लिए एक वर्ष का समय दिया था। उन्होंने तो यह भी कहा था कि अगर भारतीय भाषाओं की पुस्तकें नहीं हैं, तो मौखिक रूप से, बौद्धिक रूप से ज्ञान दिया जाय, लेकिन शिक्षा देने में एक ऐसी भाषा का सहारा न लिया जाए, जो गुलामी की प्रतीक है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसके बावजूद सरकार आज तक ऐसा क्यों इस स्थिति में क्यों नहीं ला पाई है कि यहां

पर भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा सके।

जहां में सरकार पर यह दोषारोपण करना चाहता हूं, वहां मैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। संसद् सदस्यों की समिति ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपना जो प्रतिवेदन दिया है, उसमें उसने शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन के लिए, भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए, पांच वर्ष की अवधि दी है। मेरी निजी जानकारी यह है—मैं नहीं कह सकता कि वह कहां तक सही है, शिक्षा मंत्री उस को सुधारें—कि केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् ने भी इस सम्बन्ध में पांच वर्ष का समय निर्धारित कर दिया। लेकिन जब यह निश्चय हो गया कि पांच वर्ष के अन्दर विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें हो जायेंगी, तो कुछ अंग्रेजी पत्रों ने इस निर्णय की आलोचना करना प्रारम्भ कर दिया। मुझे दुख है कि हमारे कुछ नेता उस आलोचना को देख कर घबरा गए और उन्होंने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि समय को कोई अवधि नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर असीमित अवधि वाली बात चलती रहेगी, तो हम कभी भी भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पायेंगे।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock:

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

MOTIONS RE: REPORTS OF THE EDUCATION COMMISSION AND OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON EDUCATION—contd.

MR. DEPUTY- SPEAKER: I have an announcement to make.

The President's Proclamation regarding Haryana will be discussed at 2.30 p.m. today. The supplementary list of business will be circulated to 7 Members just now.

The discussion regarding the PAC reports fixed for 5 p.m. today will be postponed to 5 p.m. tomorrow; it will be taken up at 5 p.m. tomorrow,

श्री मधु तिमये (मुंगेर) : मोशन को तो पढ़ा जाये।

MR. DEPUTY SPEAKER: The motions will also be circulated along with the agenda.

SOME HON. MEMBERS: What is the time fixed for the discussion on the Proclamation?

MR. DEPUTY SPEAKER: The time fixed is 4 hours.

SHRI RAJARAM (Salem): The Governor's report has not reached us yet.

MR. DEPUTY- SPEAKER: He will be getting all the material just now.

SHRI RAJARAM: Without getting the material, how is it possible for us to discuss? Nothing has been supplied to us from the Government side.

MR. DEPUTY- SPEAKER: As I have said, the revised list of business will be circulated just now.

The house will now proceed with the further consideration of the Report of the education Commission and the report of the Committee of Members of Parliament on Education.

Shri Prakash Vir Shastri may now resume his speech.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि अब संसदीय शिक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह परामर्श दिया है कि विश्व-विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने के लिये पांच वर्ष का समय अधिक से अधिक दिया जाय और मंत्रि-परिषद् ने भी अपनी बैठक में लगभग इसी प्रकार का निर्णय लिया है तो इन दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद मेरी समझ में बात नहीं आई कि अनिश्चित काल इस परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार को देना यह कहां तक बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी ? इसीलिए मैंने अपने भाषण में पहले यह

[श्री प्रकाशबीर शास्त्री]

अनुरोध किया था कि शिक्षा मंत्री जी से कि जहाँ तक भी संभव हो इस पांच वर्ष की अवधि में आलोचना से डर कर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाय ।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं जो दक्षिण के विश्वविद्यालय हैं उनमें उत्तर भारत की भाषाओं के पढ़ाने की कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिये और जो उत्तर के विश्वविद्यालय हैं उनमें दक्षिण भारत की भाषाओं के पढ़ाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये । लेकिन इसके लिये एक सुविधा-जनक मार्ग यह अवश्य अपनाया जाय कि जो श्री जवाहर लाल नेहरू के समय में यह निश्चय हो चुका था कि सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को सारे देश में स्वीकार कर लिया जाय । विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि के माध्यम से अथवा अध्ययन का विषय बन सके तो मैं समझता हूँ कि उन भाषाओं के सीखने में समय भी कम लगेगा और वह बुद्धिगम्य भी अधिक हो सकेगी ।

दूसरी बात मैं आश्रम प्रणाली के स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ । हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को पांच सकारों में बांटा है ।

समानता सरलता समीप्यं गुरुशिष्ययो :

स्वाधीन्यं संयमश्चैव सकाराः पंचमस्तदा ॥
यह पांच सकार ये । पहला शिक्षा क्षेत्र के अंदर अर्थ के आधार पर कोई छोटे और बड़े का भेद नहीं होना चाहिये । दूसरा सकार था कि शिक्षार्थी जीवन में जितना ही सादमी का आदि होगा उतना ही विद्या के लिए अधिक उपयोगी होगा । तीसरा सकार था—सामीप्यं गुरुशिष्ययोः— गुरु और शिष्य का जितना निकटतम संपर्क रहेगा उतना ही विद्यार्थी विद्याध्ययन के

क्षेत्र में अधिक सफल रहेगा । चौथा सकार था मस्तिष्क की स्वाधीनता का और पांचवां सकार था कि विद्यार्थी के जीवन में जितना ही संयम धारण करेगा उतना ही उसके लिए हितकर होगा । यह पांच सकार हमारी शिक्षा के मूल आधार थे । लेकिन इन पांच सकारों की पूर्ति के लिये आश्रम प्रणाली के जो स्कूल और विश्वविद्यालय हैं वह अधिक उपयोगी हो सकते हैं । और थोड़ा विस्तार में कहें तो यह हम कह सकते हैं कि गुरुकुलों की प्रणाली जो हमारे देश की थी वह उन्हीं पांच सकारों को मूर्त रूप देने के लिए थी । हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने एक बार कलकत्ता विश्व-विद्यालय में दीक्षांत भाषण देते हुए कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालयों की आश्रम प्रणाली गुरुकुलों से ले लेनी चाहिये । और विश्वविद्यालयों के जो आधुनिक विषय हैं उन विषयों का समावेश गुरुकुलों में कर लेना चाहिये । अगर इन दोनों का समन्वय हो जाय तो देश की शिक्षा प्रणाली बड़ी उपादेय हो सकती है । हमारे देश में, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, शिक्षा मंत्री जी ! लगभग समाप्ति की ओर है । उन पर इस समय आर्थिक संकट इतना विषम रूप धारण करके खड़ा हो गया है कि आप इस विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करें जो इस बात की जानकारी ले कि संस्कृत की यह आधुनिकतम प्रणाली कहीं अर्थाभाव के कारण देश से सर्वथा समाप्त न हो जाय । संस्कृत जो हमारी भारतीय भाषाओं का मूल आधार है उसके सम्बन्ध में कोठारी कमीशन के सदस्यों की बात सुनकर मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि संस्कृत के अभी किसी नये विश्वविद्यालय को भारत में खोलने की आवश्यकता नहीं है । संस्कृत के विकास के लिए कोठारी कमीशन के जो सदस्य हैं वह कोई विशेष बल या अर्थ का उपयोग नहीं करना चाहते । कोठारी कमीशन के सदस्यों की बात तो यों समझ में आती है कि जब कोठारी कमीशन का

निर्माण हुआ था, उपाध्यक्ष जी, तो इसी सदन में खड़े हो कर मैंने सदस्यों का नाम पढ़ कर यह कहा था कि और कुछ हो या न हो लेकिन इन 15 सदस्यों की जो एक सर्वसम्मत राय होगी वह मैं आज बताए देता हूँ कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक भारत के अंदर चलती रहे। क्योंकि इसमें 6 तो अमरातीय सदस्य थे। भले ही वह शिक्षा शास्त्री थे लेकिन वह भारत की अपनी परंपराओं से सर्वथा अपरिचित थे। बाकी जो नौ व्यक्ति थे उसमें से अधिकांश वह थे जो भारत की सांस्कृतिक भावना से किसी प्रकार संबद्ध नहीं थे। क्या जो भारतीय शिक्षा पद्धति को चलाने वाले शिक्षणालय हैं उनमें कोई इस प्रकार का शिक्षा शास्त्री नहीं था जो कोठारी आयोग के सदस्य के रूप में चुन लिया जाता। फिर कोठारी आयोग के सदस्य अगर इस तरह की संस्कृत के सम्बन्ध में सम्मति देते हैं तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन डा० त्रिगुण सेन स्वयं एक शिक्षा शास्त्री हैं और शिक्षा शास्त्री होने के कारण ही राजनीति ने इनको अपनी ओर खींचा है। उन्होंने स्वयं राजनीति का वरण नहीं किया। इसलिए श्रीमन् मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की दृष्टि से जो हमारी भाषाओं का मूल आधार संस्कृत है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

कुछ दिन पूर्व हमारे देश में नैतिक और धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी। अगर मैं भूल नहीं करता हूँ तो उस समिति ने जिस में ईसाई मुसलमान इत्यादि सभी थे, सर्वसम्मति से यह राय दी थी कि इस तरह की शिक्षा देना भारतीय छात्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन आज तक उस समिति का प्रतिवेदन बरफ के कमरे में पड़ा हुआ है।

वह प्रतिवेदन अभी तक कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो बातें अंत में और कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि हमारे देश में शिक्षा पर जो व्यय होता है वह दुनिया के जो देश शिक्षा पर सब से कम व्यय करते हैं उनमें नीचे से दूसरे नम्बर पर है। सबसे अधिक शिक्षा पर व्यय करते हैं आज आपान और कैनाडा जो अपनी कुल आय का 6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत लगभग शिक्षा पर व्यय करते हैं और सबसे कम अपनी आय का अगर कोई व्यय करता है तो वह अफगानिस्तान करता है। जो केवल 1 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है। भारत के आंकड़े हैं 1.5 प्रतिशत जो हम शिक्षा पर व्यय करते हैं। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में अगर गरीब अध्यापक बेचारे बार-बार आकर आंदोलन की धमकी दें जो गुरुओं के स्तर से हटी हुई बात है, और इस सरकार के सामने वह कहें कि हमारा वेतन बढ़ाया जाना चाहिए पर इस असामान्य महंगाई के जमाने में गरीब अध्यापक और क्या करें? विशेषकर प्रारंभिक शिक्षकों की जो स्थिति है वह अधिक दयनीय हो गई है। जिस समय उनके सामने जाते हैं और सौ-सौ रुपए सवा-सवा सौ रुपए वेतन की बात सुनते हैं तो चिंता होती है। मेरा तो इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह भी है कि प्रारंभिक शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के हाथों में नहीं रहनी चाहिये। प्रारंभिक शिक्षा कम से कम प्रांतीय सरकारें अवश्य दें जिस से प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षा की मूल है उसमें किसी प्रकार की दुर्बलता न लगी रह जाय क्योंकि उसी के आधार पर शिक्षा की अगली भित्ति का निर्माण होना है।

दूसरी बात इसीप्रकार प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित हमारे देश के लिए एक अभिशाप

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इन पब्लिक स्कूलों का है। एक ओर हम समाजवादी समाज की रचना का नारा लगाते हैं और एक ओर इस देश के अंदर ऐसे भी पब्लिक स्कूल हैं कि जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी पर ढाई ढाई सौ रुपये प्रति मास व्यय होता है। इसी अभागे देश में अधिकांश प्रारंभिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी वह हैं जिनको पढ़ाने वाले अध्यापक को सौ रुपये प्रति मास का वेतन दिया जाता है। बताइये इस विसंगति को देश कब तक स्वीकारता जायगा। इस लिये मेरा कहना इस प्रकार का है कि संसदीय शिक्षा समिति ने जो अपने प्रतिवेदन में लिखा है, इसको थोड़ा गम्भीरता के साथ लें।

अब मैं अन्तिम बात कहते हुए समाप्त करता हूँ— यह जो एन० सी० सी० का उपहास आज शिक्षणालयों में चल रहा है—मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ—या तो ऐसा किया जाय कि इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाय। क्योंकि आज विद्यार्थी मैट्रिकल भेज देते हैं, इसके अन्दर भाग नहीं लेते हैं। या एन० सी० सी० की ट्रेनिंग देश की दृष्टि से और विद्यार्थियों में अनुशासन लाने के लिये आवश्यक है तो उसको शिक्षा का अनिवार्य विषय बनाया जाय। लेकिन इस तरह से एक चीख उन पर लागू की जाय और विद्यार्थी उसमें हचि न लें— ये परस्पर विरोधी क्रम नहीं चलना चाहिये।

मुझे आशा है कि मेरे विचारों को दृष्टि में रख कर शिक्षा मंत्री महोदय गम्भीरता के साथ निर्णय लेंगे।

डॉ० सुशीला नैयर (ज्ञासी) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा के विषय पर इतनी हलचल सारे देश में आज मची हुई है और चारों तरफ इसकी चर्चा चल रही है। इसके लिये हमारे मंत्री महोदय हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, मगर

इसके साथ-साथ हम लोग, जो हुकूमत की बागडोर सम्भालने वाले हैं, उनके लिये थोड़ा सा यह चिन्ता का भी विषय है। आजादी के 20 साल बाद आज जो हो रहा है, वह जब आजादी आई थी, उसी वक्त तुरन्त क्यों नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर भाषा की बात, शिक्षा के माध्यम की बात ये सब बातें आजादी आने के बाद तुरन्त हम ने लागू की होती तो आज जो शोरोमुल सुनने में आता है, जो विरोध देखने में आता है, जो परेशानी आज अनेकों दिमागों में आ रही है वह आनेवाली नहीं थी। सब यह धन्यूर करने के लिये बिलकुल तैयार थे कि अब परिवर्तन होगा, लेकिन वह परिवर्तन नहीं हुआ— 20 साल चले गये। इस लिये आज हमको परिवर्तन करने में दिक्कतें आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह छटा कमीशन है जो शिक्षा के बारे में बैठा, सिफारिशें आईं, पहले भी आईं और अब भी आईं, लेकिन बात तो यह है कि उन सिफारिशों पर कितना अमल हुआ है और अब कितना होगा। बाहर से भी, विदेशों से भी, विशेषज्ञ लाये गये—मुझे कोई शिकायत नहीं है, भले आप लायें, उनके लाने का यह तो परिणाम हुआ कि जब उन्होंने हमारी ही चीजों का समर्थन किया तो हमारा आत्म विश्वास बढ़ गया कि वाकई हमारी चीजें अच्छी हैं। बाहर के लोग कहें कि हमारी चीजें अच्छी हैं, तब हम समझते हैं कि हमारी चीजें अच्छी हैं, जब तक वे न कहें, तब तक हम को नहीं लगता है कि हमारी चीजें अच्छी हैं। हमारे यहां शिक्षा विशेषज्ञों की कमी नहीं है, विचारों की कमी नहीं है और जो निर्णय आज इस कमीशन ने दिया है वे हमारे देश के विशेषज्ञ पहले से दे चुके हैं, मगर हमने उन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया।

अब आप देखिए—इस कमीशन ने बर्क-एक्सपेरियन्स पर कम्युनिटी लाइफ पर जो इतना महत्व दिया है, वह क्या चीज है ? हकीकत में यह वही चीज है जिसको गांधी जी ने नई-तालीम (बेसिक एजुकेशन) का नाम दिया था, मगर हम अपनी शोध के लिये, अपने नये विचारों के लिये क्रेडिट न लेना चाहें और बाहर वाले दूसरी भाषा में उसको रखें और दूसरा नाम दे तब हम उसको स्वीकार करें—इसको मैं क्या कहूँ ? मैंने सुना कि जब सबने कहा कि यह तो वही चीज है—बेसिक एजुकेशन, तो हमारे यहां के लोगों ने कहा कि बात तो सही है, मगर बेसिक एजुकेशन नाम बदनाम हो गया है, इसलिये कोई नया नाम देना चाहिये । किसने बदनाम किया —बेसिक एजुकेशन को ? उन लोगों ने जो इस को समझते नहीं थे, इसमें विश्वास नहीं रखते थे और वो भी उनको उसे कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया ! यह एक दुख भरी घटना है, दुःखद कहानी है । एक विषय में नहीं, अनेकों विषयों में यही चीज देखने में आती है । जब तक आप इस परिस्थिति को दुरुस्त नहीं करेंगे, कोई भी सिफारिश ले लीजिये, उन पर अमल नहीं होगा अमल करने में सिफारिशें नेगेटिव हो जायेंगी, उनका असर चला जायगा । अतः सिफारिशों पर अमल होना चाहिये ।

अब रहा—शिक्षा का माध्यम । सब लोग जानते हैं मातृभाषा में सिखाना आसान होता है और प्राइमरी स्कूलों में तो मातृ-भाषा रही ही है । सैकेण्ड्री स्कूल में भी जब ये पढ़ती थी तब से शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी, सिर्फ विश्वविद्यालय की बात रह गई थी, उसके बारे में अब सिफारिश हुई है । मैं यह मानती हूँ कि यह बात जैसा हमारे भाई प्रकाशबीर शास्त्री जी ने कहा

M81LSS(CP)/67-7

MR. DEPUTY-SPEAKER: Copies of the proclamation and the Governor's report regarding Haryana have been placed in the Publications Counter. Members may collect their copies.

डा० सुशीला नायर : तो शिक्षा का माध्यम, उपाध्यक्ष महोदय, महत्व रखता है ताकि शिक्षा क्या है, एजुकेशन का कन्टेन्ट क्या है, उसके ऊपर बज्रन दिया जाय, न कि उसकी भाषा पर बज्रन दिया जाय । अंग्रेजी सीखने में कितनी कठिनाई हम सब को बचपन में हुई है, हम सब जानते हैं । आज हम भले गर्व करें कि हम अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं । अब सवाल यह आता है कि अंग्रेजी अगर आप कारोबार में रखेंगे और शिक्षा से उसको हटायेंगे तो काम चल नहीं सकता । क्यों लोग बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करते हैं ? अंग्रेजी बोलने वाले की कद्र होती है, उसकी कीमत होती है,—नौकरी में, कारोबार में, हर एक चीज में, तो जब तक आप इस मनोवृत्ति को नहीं बदलते तब तक अंग्रेजी का महत्व रहेगा । भाषा तो विचारों का व्यक्त करने का माध्यम है । विचारों को महत्व मिलना चाहिये, न कि भाषा को । काम को महत्व मिलना चाहिये—न कि किस भाषा में काम होता है इसको । इस लिये जब तक यह चीज दुरुस्त नहीं होगी आप अंग्रेजी को हटा नहीं पायेंगे । मैं मानती हूँ

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट हम लोगों को यहाँ पर दे दी जाय, अगर हम यहां से हट जायेंगे तो यहां पर कोरम नहीं रहेगा । We should get them here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those who are interested have already left. You can carry the reports for your other friends as well.

श्री न० कु० साखे (बेतूल) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े समझ-बूझ की बात है, हम

[श्री म० कु० साहब]

लोग यहां से चले जायेंगे तो यहां कोरम नहीं रह पायेगा—यह बड़ी अकल की बात है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Any member who happens to be there can collect the reports for other friends also.

डा० सुशीला नायर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे समय का ध्यान रखा जाय, इतनी इन्ट्रिगन्स हुई हैं, विचार भी टूट जाते हैं इस तरह से ।

मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि आज विश्वविद्यालय के स्तर पर मातृभाषा को माध्यम के तौर पर दाखिल करने की बात हो रही है। यह बात कि टेक्स्टबुक नहीं है, महत्व नहीं रखती। क्योंकि जब तक फंसला नहीं होता है भाषा बदलने का, तब तक कोई टेक्स्टबुक बनने वाली नहीं है। जब पिछले 20 वर्ष में नहीं बनी तो अगले 20 वर्षों में भी नहीं बनेंगी। अगर आप कोई फंसला नहीं लेते, और लेते हैं तो उस पर अमल नहीं करते तो स्थिति बदलेगी नहीं। लेकिन एक बात में जरूर कहना चाहती हूँ—मंत्री महोदय के ध्यान देने के लिये और वह यह है कि इस देश में विश्वविद्यालय के स्तर पर यदि मातृभाषा ही मातृभाषा चलेगी तो एक प्रान्त का लड़का दूसरे प्रान्त में नहीं जा पायेगा, एक प्रान्त का शिक्षक दूसरे प्रान्त में नहीं जा पायेगा, इससे हमारी शिक्षा को भी नुकसान होगा और हमारे देश की एकता की भावना को भी नुकसान होगा। इस लिये मैं यह समझती हूँ कि विश्वविद्यालय के स्तर पर हम हिन्दी को स्वीकार करें तो यही इस देश के लिये योग्य बात हो सकती है।

मैं जानती हूँ कि आज कुछ भाइयों के दिल में हिन्दी के प्रति कुछ ऐसी भावना आ गयी है कि हम उनके ऊपर हिन्दी लाद नहीं सकते। लादना भी नहीं चाहिये। हिन्दी तो आ ही रही है, आयेगी; लेकिन

हिन्दी भाषियों को थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। इसलिए भले आप मातृभाषा का माध्यम रखिये लेकिन मातृभाषा के साथ हिन्दी का भी माध्यम रखिये। किसी ऐसी जगह जहां हिन्दी नहीं ही स्वीकार होती वहां साथ में अंग्रेजी का भी माध्यम भले साथ रखिये। कोशिश यह होनी चाहिये कि विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा हो जिसमें सभी प्रान्तों के लोग, सभी प्रान्तों के शिक्षक, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें, सबको उनका लाभ मिल सके।

रूस में उच्च स्तर पर प्रान्तीय भाषा शिक्षा का माध्यम बनाई गई है लेकिन उसके साथ ही साथ रूसी भाषा को भी माध्यम रखा गया है। नतीजा यह है कि तीन प्रतिशत लोग प्रान्तीय भाषा में सीखते हैं उच्च शिक्षा लेते हैं और 97 प्रतिशत वही विषय रूसी भाषा में सीखते हैं। जिनको प्रान्त से बाहर नहीं जाना होता है वह ही प्रान्तीय भाषा में सीखते हैं दूसरे नहीं। इसलिये आवश्यक है कि हम पूरी कोशिश करें इस चीज की कि विश्वविद्यालय के स्तर पर कहीं दरवाजे बंद न हो जायें, दीवारें खड़ी न हो जायें इस देश के टुकड़े न हो जायें बल्कि यह देश एक है, इस देश के लोग एक हैं, यही भावना बनी रहे।

मैं जब पढ़ने के लिये दिल्ली में आई, लेडी हाडिंग मैडिकल कालिज में, पहली बार मैंने भारत के हर प्रान्त की लड़कियों को देखा, हर प्रान्त की वेशभूषा देखी और हर प्रान्त की भाषा सुनी, तो मेरी तो आंखें खुल गयीं। मैं नहीं जानती थी कि इतनी भाषाएं हैं, इतने प्रकार के खाने हैं, इतने प्रकार के कपड़े हैं। तो यह जो अनुभव हम लोगों को मिला, यह हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलता रहे यह आवश्यक है। कम-से-कम एक चीज तो होनी ही चाहिये कि जो सेंट्रल युनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपको हिन्दी रखनी ही होगी। दूसरी कोई

भाषा भी आप भले रखें, हिन्दी रखें, साथ में अंग्रेजी रखनी हो तो रखें, लेकिन हिन्दी तो रहनी ही चाहिये इसमें मेरे मन में शंका नहीं है ।

स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा देश है लेकिन चार भाषाएं वहां पर चलती हैं । वहां पर फ्रेंच चलती है, जर्मन चलती है, अंग्रेजी चलती है, उनकी अपनी एक डायलैक्ट है जोकि चलती है और इटालियन भी चलती है गरजे कि पांच है तो यह पांच भाषाएं जो वहां पर आधे करोड़ लोग बसते हैं, फ्राइव मिलियंस । अगर वहां पर इतनी भाषाएं चल सकती हैं तो हमको अपने देश में दो भाषाएं या तीन भाषाएं चलाने में क्या परेशानी है ? अगर थोड़ा सा खर्चा भी ज्यादा होता है तो वह करना चाहिये उसमें घबड़ाना नहीं चाहिये ।

अब मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जिससे मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है । यह पड़ोस के स्कूल, नेबरहुड की बात होती है । अच्छा विचार जरूर अच्छा है । स्कूल अगर आप नेबरहुड में खोलियेगा तो किसका दिमाग खराब है कि वह अपने पड़ोस के इन अच्छे स्कूलों को छोड़ कर अपने बच्चों को दूर-दूर पब्लिक स्कूल में भेजें और अपनी गाड़ी कमाई का 200, 200 और 250, 250 रुपया महीना खर्च करें । जाहिर है कि उस हालत में वह ऐसा नहीं करेंगे । लेकिन खाली एक हुकम चला कर अगर आप उन प्राइवेट या पब्लिक स्कूलों को बंद कर देंगे और उसके स्थान पर आप अच्छे स्कूलों का इंतजाम नहीं करेंगे तो वह कैसे चलेगा ? आज 200-250 रुपया महीना एक बच्चे को उन स्कूलों में भेजने पर खर्च होता है लेकिन उसमें एक कौड़ी सरकार की नहीं है । वह सब बच्चों के मां, बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों के लिये उन्हें अच्छी

तालीम देने के लिये खर्च करते हैं । मैं नहीं चाहती कि बड़े और छोटे के बच्चे में फर्क हो । मैं भी चाहती हूं कि सब समान रहें । मैं भी चाहती हूं कि सबको समान अच्छी शिक्षा मिले । लेकिन उसका रास्ता यह नहीं है कि आप अच्छे स्कूल वाले को हुकम दें कि यह स्कूल बंद कर दिया जाय । उसमें गरीब का बच्चा भी जा सके यह प्रबन्ध आप करें । स्कालरशिप ज्यादा बढ़ाइये यह एक रास्ता है अपने नेबरहुड स्कूल को अच्छा बनाइये यह दूसरा रास्ता है । यदि ऐसा होगा तो अपने आप यह महंगे पब्लिक स्कूल खत्म हो जायेंगे । वरना जैसे कि विरोधी पक्ष के कुछ लोगों ने कहा आप माइनारिटीज को तो रोक नहीं सकेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वह भी किसी घम का नाम लेकर किसी जाति का नाम लेकर, अपने स्कूल चलायेंगे । उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इसलिए शिक्षा को अच्छा किया जाय, स्कूलों को अच्छा किया जाये । इसकी तरफ तवज्जह देनी चाहिये । लेकिन बैसा न करके महज एक हुकम आप निकाल दें कि यह अच्छे स्कूल चलाने वाले अपने स्कूलों को बंद कर दें तो यह काम चलने वाला नहीं है । उन स्कूलों में आज मां, बाप अपना पेट काट कर जैसे भी होता है 200 और 250 रुपया खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं.....

श्री प्रकाशबोर शास्त्री : वह दूसरों का पेट काट कर यह 250 रुपया देते हैं ।

डा० सुशीला नायर : मैं कहना चाहती हूं कि यह सरासर गलत बात है । मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जिन्होंने अपना पेट काट कर अपनी तमाम ज़रूरयात को दबाते हुए उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा है । मेरे एक भाई ने अपने बच्चे को मीडर्न स्कूल में भेजा । उसके लिए आसान नहीं था फ्रीस निकालना । मैं जानती हूं कि मेरे भूतपूर्व सेक्रेटरी अपने बच्चों को मीडर्न स्कूल भेज रहे हैं । उसकी

[डा० सुशीला नायर]

हैसियत नहीं है मगर बेचारा किसी न किसी तरीके से गुजारा करता है वह अपने लिये कपड़े नहीं सिलवाता, जूते नहीं लेता लेकिन बच्चे को जैसे भी हो अच्छी तालीम मिल जाये, उसे पढ़ाने पर अपना पेट काट कर पैसा खर्च कर रहा है। और अभी जो श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि वह औरों का पेट काट कर वहाँ पर पढ़ाते हैं तो यह बात गलत है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक, दो प्रतिशत: ऐसे हो सकते हैं।

डा० सुशीला नायर : काफ़ी हैं। सवाल यह है कि आप हुकम करके किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप इस स्कूल में बच्चे को भेजें। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने स्कूलों को अच्छा करिये और ऐसा होने पर लोग खुदबखुद उन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे।

श्री रवि राय (पुरी): आप गांधीवादी होकर ऐसा बोल रही हैं ?

डा० सुशीला नायर : जी हां, स्कूल अच्छे होने चाहिये। लेकिन पैसा न हो तो आप मजबूर नहीं कर सकते किसी को कि अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने का प्रवन्ध न करे।

श्री रवि राय : नहीं हो पाएगा अगर आप पब्लिक स्कूल खत्म न कीजियेगा।

डा० सुशीला नायर : आप खत्म कैसे करेंगे ?

श्री रवि राय : इनको पैसा न दें यह तो आप कर सकते हैं।

डा० सुशीला नायर : हां, सरकार उन्हें पैसा न दे, नहीं दे तो अब कोई मां, बाप अपना पेट काट कर पैसा खर्च करके इन

स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ायेगा तो आप उसे कैसे रोकियेगा ?

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : सारे बच्चों के लिये समान स्कूल हों।

डा० सुशीला नायर : अच्छे स्कूल होने चाहिये लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकेंगे अगर कोई अपने लिये अलग स्कूल बनाता है चाहे वह धर्म के नाम से बनाय और चाहे वह किसी नेता के नाम से बनाये.....

श्री रवि राय : रोक सकते हैं।

डा० सुशीला नायर : रोक नहीं सकते, रोकना नहीं चाहिये। यह डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा यह मत है कि हर एक बच्चे को अच्छी तालीम मिलनी चाहिये लेकिन अच्छी तालीम मिलने का रास्ता यह नहीं है कि आप अच्छे तालीम वाले स्कूलों को बन्द कर दें। आप पहले अपने स्कूलों को अच्छा करें। वह आप को करना है तो आप के लिये आवश्यक है कि आप शिक्षकों की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान दें। आज शिक्षक को न तो पैसा मिलता है और न उसका समाज में ही सम्मान होता है। पुराने जमाने में भी शिक्षक को बहुत पैसा नहीं मिलता था लेकिन प्रतिष्ठा थी गुरु की। वह प्रतिष्ठा भी आपने समाप्त कर दी और पैसा भी नहीं दिया तो आपके बच्चे कैसे उसके पास से अच्छी तालीम पायेंगे ? कैसे हमारे स्कूल हमें सुधारने हैं यह सोचने की बात है। (व्यवधान)।

मुझे इस देश में यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि यहां पर ध्वंस की वृत्ति ज्यादा है निर्माण की वृत्ति कम है। इस लिए आपको ध्वंस छोड़ कर निर्माण की तरफ ध्यान देना होगा तब तालीम बढ़ेगी तब बच्चे अच्छी तालीम पायेंगे। और तब ही देश बनेगा। और किसी तरीके से यह नहीं हो सकता।

MR. DEPUTY- SPEAKER : May I request the hon. Member, if she so desires, to continue her speech the next day? We have now to take up some other item of business.

DR. SUSHILA NAYAR : I will not be here tomorrow. So, unless you want me not to continue my speech, you may allow me to conclude it today.

MR. DEPUTY- SPEAKER: I am sorry, I cannot help it. We have to take up some other business now.

14.29 hrs.

MOTION AND STATUTORY RESOLUTION Re : PROCLAMATION IN RESPECT OF HARYANA

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"That this House regrets that the Government of India did not reject the report dated the 17th November, 1967 of the Governor of Haryana to the President recommending the issue of proclamation, laid on the Table of the House on the 21st November, 1967 inasmuch as the Government of Haryana enjoyed majority in the Legislature and functioned in accordance with the provisions of the Constitution."

आम चुनावों के बाद भारतीय लोकतंत्र की जो शक्ति प्रकट हुई थी आज उस पर आघात लगाया गया है। शान्तिपूर्ण तरीके से एक क्रान्ति करके जनता ने अपनी इच्छा से अपनी सरकार चुनने के जिस मताधिकार के महत्व का परिचय दिया था आज उस अधिकार पर चोट मारी गई है। आज राष्ट्रपति ने एक घोषणा करके हरियाणा की निर्वाचित विधान सभा को भंग कर दिया। यह कार्यवाही हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की गई। यह रिपोर्ट भारत सरकार को 17 नवम्बर को भेजी गई। संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को इस बात का अधि-

कार है कि वह राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या किसी अन्य उरिये से सूचना मिलने पर, संतुष्ट हो कर इस बात का निर्णय करें कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। स्पष्ट है कि इस मामले में अन्य सूत्रों का उपयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित है। राज्यपाल की रिपोर्ट हमारे सामने है। शायद सभी माननीय सदस्यों को उसका अध्ययन करने का मौका नहीं मिला होगा। मैं उस रिपोर्ट पर बाद में आऊंगा।

किसी राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता, केन्द्र सरकार इस बात के लिये बंधी हुई नहीं है कि वह राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करे। केन्द्र सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करना है, किन्तु वह राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकती है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अभी सम्बद्ध राज्य में संविधान को स्पष्ट करने का अवसर नहीं आया है। मेरी पहली शिक्षायत केन्द्र सरकार से है। क्या केन्द्र सरकार आंख मूंद कर राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी? क्या केन्द्र सरकार ने स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया? मैंने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें इस बात पर खेद प्रकट किया है कि केन्द्र सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकृत नहीं किया। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया।

ऐसे उदाहरण हो चुके हैं, जब राज्यपालों को उनकी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिये रिपोर्ट वापस कर दी गई। इस मामले में केन्द्र सरकार ने यह रुख क्यों नहीं